ग्रेटर नौएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2012–13 से पूर्व आवंटित आवासीय/विल्टअप योजनाओं के डिफाल्टर आवंटियों हेतु एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 से पूर्व की ग्रेटर नौएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय/विल्टअप हाउसिंग योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड/भवन के, वे आवंटीगण, जिनके द्वारा प्रीमियम + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है तथा वे वर्तमान में डिफॉल्टर हो गये हैं, तथा इसके अतिरिक्त वे आवंटीगण, जिनके द्वारा भूखण्ड/भवन की लीजडीड समय से निष्पादित नहीं करायी गयी है और उन पर लीजडीड विलम्ब शुल्क आरोपित हो गया है। इस प्रकार के समस्त आवंटियों के लिये ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा ओ0टी0एस0 योजना (One Time Settlement Scheme) लाई गयी है जिसके अर्न्तगत वे समस्त आवंटीगण दिनांक 31.03.2019 तक प्रोसेसिंग फीस रू 2000/– तथा इसके पश्चात दिनांक 01.04.2019 से 31.05. 2019 तक रू 5000/– (जिसका समायोजन किसी अन्य मद में नही किया जायेगा) के साथ डिफाल्टर धनराशि यथा (प्रीमियम डिफाल्ट + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड विलम्ब शुल्क) के कुल योग का 5 प्रतिशत (जोकि जमा होने वाली धनराशि, आगणित लागत/देय धनराशि में समायाजित की जायेगी) जमा कराते हुये आवेदन कर सकते है। इसके अतरिक्त प्रीमियम डिफाल्ट + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड विलम्ब शुल्क यथा आवश्यकता तीनो अथवा दो अथवा एक पर भी डिफॉल्ट होने पर भी आवेदन कर सकते हैं।

ग्रेटर नौएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओ0टी0एस0 योजना का आवेदन फार्म, नियम व शर्तों एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट www.greaternoidaauthority.in से डाउन लोड कर प्राप्त सकते हैं।

सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)
ग्रेटर नौएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण